राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	2314 / 2024 रिछपाल सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर (राज.)। 7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	15.07.2024	30.06.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	2315 / 2024 शोभाराम रैगर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर(राज.) 7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)।	15.07.2024	30.06.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
3.	2320 / 2024 रामवतार स्वामी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर(राज.) 7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)	16.07.2024	30.06.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
4.	2321 / 2024 झंदूराम यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, जिला राजसंमद। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर(राज.)	16.07.2024	30.06.2022	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

		7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)			
5.	2322 / 2024 रामनिवास मौर्य	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर(राज.) 7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)	16.07.2024	30.06.2015	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
6.	2324 / 2024 ख्याली राम सिंघल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर(राज.) 7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर (राज.)	16.07.2024	30.06.2018	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
7.	2325 / 2024 जगदीश प्रसाद गुर्जर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 3. संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग (क–4) जयपुर, राजस्थान। 4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर। 5. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।	16.07.2024	30.06.2020	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
8.	2355 / 2024 मोहन लाल झाझरिया	1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव सह–आयुक्त ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर। 3. मुख्य जिला अधीक्षक अधिकारी , जिला परिषद, झुंझुनू। 4. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति चिड़ावा, झुंझुनू। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर।	01.07.2024	30.06.2020	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

आदेश की दिनांक :

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2314/2024 रिछपाल सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी द्वारा 1 जुलाई से 30 जून तक प्रदान की गई सेवाओं के लिए आगामी 1 जुलाई से काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जावे और परिणामस्वरूप उनके पेंशन लाभों को फिर से निर्धारित किया जावें

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति में वर्ष 1986 में जिला जयपुर में हुई थी। अपीलकर्ता शिक्षक ग्रेड-III के पद से दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया था। (अनुलग्नक-1) सेवानिवृति पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के पेंशन के संबंध में प्रकरण भेज दिया है। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका के अनुसार उसे एक वेतन वृद्धि दी गई थी और प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि न देकर भेदभाव किया है और यदि अपीलार्थी एक वार्षिक ग्रेड वृद्धि दी जाती तो अपीलार्थी का वेतन बढ़ा दिया जाता। अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि उसने 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक अपनी एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त हो गया है और इसलिए अपीलकर्ता को एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए और यदि प्रत्यर्थी विभाग एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि देते हैं, अपीलार्थी का वेतन बढ़ा दिया जाता। अपीलकर्ता के ग्रेच्युटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण सहित सेवानिवृत्ति लाभ जारी कर दिए गए हैं लेकिन अपीलकर्ता को वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि नहीं दी गई है और जिसके कारण अपीलकर्ता का वेतन कम हो गया है। अवर सचिव (E.III A), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ई.III ने सरकार के सचिव को एक पत्र दिनांक 25.06.2019 को भेजा है। भारत के डी.जी. पोस्ट एवं अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड को सरकारी सेवकों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि के संबंध में, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के दिन यानी 30 जून को एक वर्ष पूरा कर लिया है, के संबंध में भेजा है जिसमें कहा गया है कि सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 के नियम 10 के अनुसार वेतन वृद्धि की एक समान तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई को लागू किया गया है। 30 जून को एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त

होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने से संबंधित मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2017 के कारण उत्पन्न हुआ। इसके के बावजूद अपीलकर्ता को अभी तक लाभ का कोई बकाया नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ इस आधार पर देने से इनकार कर दिया है कि वह वेतन वृद्धि देय होने से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गया था। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने 1 जुलाई से 30 जून तक अच्छे आचरण के साथ कार्य किया एवं सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए और उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं थी, इसलिए अपीलकर्ता वार्षिक वेतन वृद्धि पाने का हकदार है जो 1 जुलाई को देय थी लेकिन उक्त वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं दिया गया है क्योंकि वे एक दिन पहले यानी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। यह निवेदन किया कि चूंकि अपीलकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले पूरा कर लिया है, इसलिए वह 1 जुलाई को मिलने वाली वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है। अपीलकर्ता द्वारा एक वर्ष के लिए उनके अच्छे आचरण के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि जब वेतन वृद्धि देय हुई तो वह राजकीय सेवा में नहीं थे। P. Ayyamperumal (Supra) में मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि एक बार कर्मचारियों ने एक वर्ष पूरा कर लिया था। 30 जून को सेवा का पूरा एक वर्ष की पूरी सेवा के आधार पर अर्जित वेतन वृद्धि के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय थी और उस समय तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। इस मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय तक अंतिम रूप ले चुका है। इसके बाद गोपाल सिंह (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस फैसले का पालन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 21.07.2023 को समान निर्णय पारित किया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि 30 जून को सेवानिवृत्त अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जावे जो उन्होंने एक वर्ष से पहले एक वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान करने के लिए अपनी सेवानिवृति के अंतिम दिन अर्जित की थी। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि एक वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि देने और अपीलार्थी की पेंशन को दोबारा तय करने का निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 2314/2024 रिछपाल सिंह बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य